राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 12440/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
अमित पाण्डे 265/275, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड, जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप सचिव राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एस.एल.मलिक, राज्य लोक सूचना अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-3-17 के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को प्रेषित पत्र दिनांक 24-11-16 पर की गई कार्यवाही एवं उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में संधारित की गई पत्रावली की प्रति चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 13-4-17 के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी तदानुसार अपीलार्थी की प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 15-5-17 के द्वारा खारिज की जा चुकी है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 24-1-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त